

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वन भूमि-34/2025-
प्रेषक,

4089

व०प०, राँची, दिनांक- 28.11.2025

रोवा में,

चन्द्रशेखर प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सचिव,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली-110003

To upload on
Parivesh

विषय :- लातेहार जिलान्तर्गत राजवार ई०एण्ड०डी० कोल गाईन्स हेतु कुल-564.90 हे० हेतु वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/MIN/48598/2020) के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, वंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-865 दिनांक-04.11.2025 एवं पत्रांक-896 दिनांक-11.11.2025 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

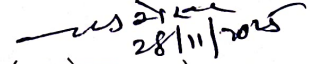
विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :-

- (1) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।
- (2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित 564.90 हे० वनभूमि के NPV की राशि जमा की जाएगी।
- (3) प्रस्तावित वनभूमि के विरुद्ध चिन्हित 1148.26 हे० अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।
- (4) वन प्रमंडल पदाधिकारी तथा वन संरक्षक द्वारा की गई अनुशंसा में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- (5) स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रस्तावित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।
- (6) विषयक परियोजना से होने वाली क्षति तथा वन्यप्राणी संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के परिपेक्ष्य में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Project Cost पर स्थानीय वन पदाधिकारियों के परामर्श एवं निदेशन में Site Specific Wildlife Management Plan तैयार कर इसे समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना होगा।
- (7) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Project Cost पर Soil & Moisture Conservation Plan एवं Comprehensive Catchment Area Treatment Plan तैयार कर इसे क्रियान्वित किया जाएगा।
- (8) FRA, 2006 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- (9) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन



(चन्द्रशेखर प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 564.90 ha of Forest Land for Rajbar E&D Coal Mines under Latehar Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for Diversion of 564.90 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no. 4089. dated-.28.11.2025


Rajdeep Sanjay Lal John

Special Secretary
Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi